अदालत तारीख	फर्द अहकाम
25-8-22	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील व प्रतिवादी वकील ने अवगत कराया कि वादी प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता है। वादी प्रकरण उक्त को समाहित कराना चाहते है। अतः प्र० सं० 23/19 दाता मोहिउद्दीन बनाम रोशन लाल वगैरह में समाहित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)